खंड ३ संख्या ३२

10580

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

बुधवार, तिथि १४ मार्च, १९५१।

The Bihar Legislative Assembly Debates

OFFICIAL REPORT

Wednesday, the 14th March, 1951.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना,
१९५२

[मूल्य—६ आना]
[Price—Annas 6.]

बिहार विधान सभा वादवृत्त।

वृहस्पतिवार, तिथि २९ मार्च १९५१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि २९ मार्च १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

*तारांकित प्रश्नोत्तर।
*Starred Questions and Answers.

MATCH FACTORY IN KATIHAR.

*731. **Shri NAND KISHORE NARAYAN LAL** : Will the Hon'ble Minister in charge of Development and Industries Department be pleased to state—

(*a*) whether there was a match factory in Katihar, if so, the date when it was established and the date since when it has been closed ;

(*b*) the arrangement made for the accommodation of the labourers ;

(*c*) the extent of loss to the Government in respect of tax ;

(*d*) whether Government propose to get the factory started, if not, why not ?

Shri BIR CHANDRA PATEL : (*a*) The answer is in the affirmative. There was a match factory at Katihar, called Calcutta Match Works (India), Ltd. It was started in the year 1942 and it ceased to function from the 17th July 1948.

(*b*) During an inspection of the factory by an officer of the Industries Department it was found that quatrers were provided for 60 per cent of the workers.

(*c*) The extent of loss to the Central Government in respect of Central Excise duty comes to about six lakhs based on the figures of receipt of the years 1946-47, 1947-48 and 1948-49.

(*d*) The factory was a private concern and ceased to operate due to the differences among the proprietors and it is very difficult to induce them to restart the factory.

Shri NAND KISHORE NARAYAN LAL : What step Government propose to take to restart the factory ?

(ख) इस योजना की छानवीन के लिये स्थानीय अफसरों को आदेश दिया गया

श्री देवशरण सिंह: छानबीन के सिलसिले में कितना progress हुआ है ?

माननीय श्री रामचरित्र सिंह: इसके लिये notice चाहिए ।

श्री जगन्नाथ सिंह: क्या आगामी वर्षा के पहले यह काम हो जायेगा ?

माननीय श्री रामचरित्र सिंह: जबतक छानबीन नहीं होजाय तबतक काम नहीं शुरु किया जा सकता ।

रामनगर एस० डी० ओ० कैनल पर रुपये का दावा।

*७४१। श्री देवनारायण सिंह: क्या माननीय मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि जनवरी, १९५१ में श्री सीताराम सिंह ठीकेदार जो मौजा जेठवारी, थाना पीरो, जिला शाहाबाद के हैं, वे नहर एस० डी० ओ० रामनगर के यहां १८,३४० रुपए का दावा (claim) किया है;

(ख) १८,३४० रुपए में से श्री सीताराम सिंह को कितना रुपया दिया गया है और कितना रुपया बाकी है;

(ग) क्या यह बात सही है कि नहर विभाग के औफिसरों की लापरवाही से अभी तक इस क्लेम (claim) का फैसला नहीं हो सका है;

(घ) क्या यह बात सही है कि जबतक उस दावे (claim) का फैसला नहीं होता, तबतक का हर्जाना या सूद सरकार सीताराम सिंह को देगी या दे गी तो किस दर से;

(ङ) यदि खंड (ग) का उत्तर 'हां' में है तो सरकार उसके सम्बन्ध में कौन सी कार्रवाई करने जा रही है ?

माननीय श्री रामचरित्र सिंह: (क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) प्रस्तुत दावा तथ्यहीन है । श्री सीताराम सिंह, ठीकेदार ने बिहिया ब्रांच केनाल के स्थाई आउटलेट में विशेष मरम्मती का काम किया था और उन्हें नीचे लिखे अनुसार चुकती की गई है:—

पहला औन एकाउन्ट बिल—१,९८२ रूपये की स्वीकृति हुई । इस कार्य के सिलसिले में सरकार ने श्री सीताराम सिंह, ठीकेदार को कुछ सामग्री दी थी, अतएव ७७२ रू० ४ आ० उसके हेतु काट लिया गया और शेष १,१९८ रू० १२ आ० श्री सीताराम को दिये गये ।

दूसरा औन एकाउन्ट बिल—५४५ रु० की स्वीकृति हुई जिसमें ५२३ रु० ४ आ० इस ठीकेदार को दी गयी सामग्री के मूल्य में काट लिया गया और शेष २१ रू० १२ आ० इस ठीकेदार के नाम पर जमा कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने ईंट देने के

वादे किये थे जिसके हेतु सरकार उन्हें प्रर्याप्त कोयला दे चुकी है, परन्तु अभी तक शर्त के अनुसार ईंटे नहीं मिली हैं।

ठीकेदार ने यथासमय समुचित कोयला पाने पर भी ईंटे नहीं दी इससे जनता के आवश्यक कार्य स्थगित करने पड़े। अतएव जबतक ईंटे नहीं मिल जातीं इनका फाइनल बिल बनाना रोक लिया गया है।

इधर पता चला है कि इस ठीकेदार ने डिप्टी चीफ इन्जिनियर, सिंचाई विभाग के पास इस सम्बन्ध में कुछ अपील की है जिसकी उचित जांच-पड़ताल उनके द्वारा हो रही है।

(ग) उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट होगा कि नहर विभाग के अफसरों पर लगाया गया यह अभियोग निराधार है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजकिशोर सिंह : जो जांच-पड़ताल हो रही है उसका फैसला कौन करेगा ?

माननीय श्री रामचरित्र सिंह : इसका उत्तर अभी हम कैसे दे सकते हैं। Deputy Chief Engineer के द्वारा जांच-पड़ताल करायी जा रही है।

श्री राजकिशोर सिंह : सभी बातें record में रहते हुए भी छान-बीन करने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी ?

माननीय श्री रामचरित्र सिंह : हमने कहां कहा है कि हम छान-बीन कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा कि Deputy Chief Engineer के पास इस सम्बन्ध में अपील उस ठीकेदार ने की है और वह इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

रामस्वरूप मिस्त्री का कार्य।

*७४२। श्री यमुना राम : क्या माननीय मंत्री, विद्युत् विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्री रामस्वरूप मिस्त्री जो विद्युत् विभाग का एक मिस्त्री है, और जिसका वेतन सरकार देती है वह रजारियो साहब जो विद्युत विभाग के वर्तमान इन्जीनियर हैं, उनका निजी काम करता है ?

श्री यमुना राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का कुछ अंश उड़ा दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : इसकी जवाबदेही अध्यक्ष पर है। माननीय सदस्य को जानना चाहिए कि अध्यक्ष द्वारा यथा स्वीकृत रूप में उनका प्रश्न यहां आया है। अगर माननीय सदस्य को इसके बारे में कुछ पूछना है तो अध्यक्ष से मिलकर पूछ सकते हैं और मैं उत्तर दे दूंगा।